



124

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार (निकट डायल 100), लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक: 2316 /03/76/एक/2017-18

दिनांक: 23 जुलाई 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-मऊ।

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) के अन्तर्गत धनराशि का प्रेषण।


महोदय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) के उपघटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना (सेक्टर होम) के अन्तर्गत 05 वर्षों के संचालन हेतु अनुमन्य धनराशि ₹0 30.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त 20 प्रतिशत की धनराशि निम्न विवरणानुसार आपके जनपद का योजनान्तर्गत पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत निम्न बचत खाते में अन्तरित की जा रही है:- (धनराशि ₹0 लाख में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	आश्रय गृह के संचालन हेतु 01 वर्ष के लिये प्रेषित की जा रही धनराशि
1	मऊ	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	586002010013960	6.00
	योग			6.00

- 1- उक्त धनराशि का प्रयोग केवल उसी मद में किया जायेगा जिस मद में धनराशि अवमुक्त की जा रही है। धनराशि का व्ययवर्तन किसी भी दशा में मान्य न होगा।
- 2- धनराशि का नियमानुसार उपयोग किये जाने के उपरान्त अभिकरण को निर्धारित प्रारूप पर व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3- डे-एनयूएलएम योजना के उपघटकों हेतु जारी दिशा-निर्देश एवं कार्यवृत्त/योजना की गाइड लाइन में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 4- कार्यदायी संस्था को धनराशि नियमानुसार हस्तान्तरित की जाये।


भवदीय,

  
(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-

- 1- निदेशक, सी०एण्डडी०एस०, उ०प्र० जल निगम को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- परियोजना निदेशक/परि० अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण सम्बन्धित जनपद को सूचनार्थ तथा इस निर्देश के साथ प्रेषित कि धनराशि का दुरुपयोग न हो।
- 3- परियोजना अधिकारी, डे-एनयूएलएम-सूडा।
- 4- वेबमास्टर, सूडा/कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

  
(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक